

## इंदौर में नकली कीटनाशक कारखाना पकड़ाया



### 13 लाख का नकली माल जब्त , मुख्य आरोपी फरार

**इंदौर।** प्रदेश में नकली कृषि आदान के जरिए किसानों को धोखा देने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिनों इंदौर में सांवेर रोड पर नकली कीटनाशक का कारखाना पकड़ने का मामला सामने आया है। जहां प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली कीटनाशक बनाया जाता था। सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम ने कार्यवाही कर करीब 13 लाख का नकली माल जब्त किया।

इस बारे में श्री विजय चौरसिया, कृषि उप संचालक इंदौर ने कृषक जगत को बताया कि टूबड़ी कंसल्टिंग प्रा. लि. नोएडा के सहायक प्रबंधक श्री रवीन्द्र ने कृषि विभाग को सूचित किया कि उनसे संबंधित प्रतिष्ठित कंपनियों सिंजेंटा इण्डिया लि.एफ. एम. सी. इण्डिया प्रा. लि. एवं बॉयर क्रॉप साइंस लि.के नाम से नकली कीटनाशक दवाइयों का अवैध निर्माण सांवेर रोड, ई सेक्टर इंदौर स्थित कारखाने में किया जा रहा है।

कृषि विभाग की टीम जिसमें श्री जेड.ए. हैदरी, श्री सतीश कैथवास, श्री आर.एस. वर्मा, श्री रवि वर्मा और श्री कृष्णपाल सिंह शामिल थे, एफ.एम.सी.इण्डिया प्रा. लि. के नाम से बायोकोरा (कोरोजोन) के 120 नग (150 मिली लीटर) कुल कीमत 3 लाख 32 हजार 200 रु. एवं बॉयर क्रॉप साइंस लि.के नाम से नेटिवो (250 ग्राम ) के पैक में 395 पैकेट कुल 100 किलो कीमत 9 लाख 48 हजार कुल कीमत 12 लाख 80 हजार 200 का नकली माल पकड़ा। लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य आरोपी अजय तिवारी फरार हो गया।

विभाग द्वारा नमूनों को जब्त कर कारखाने को सील कर दिया गया है। श्री राजेंद्र सिंह तोमर कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कार्यालय इंदौर की शिकायत पर थाना बाणगंगा , इंदौर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जब्त किए गए नमूनों को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

**Source:** <https://www.krishakijagat.org/Article3805/fake-pesticide-factory-caught-in-indore>